

फ्लेक्सी फेअर योजना (-flexi fare scheme) का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने समीक्षा समिति की सफारिशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और यात्रियों के प्रतविदन के आधार पर फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रेलवे ने 9 सितंबर, 2016 से फ्लेक्सी फेअर योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने उच्च राजस्व एकत्र किया, हालाँकि आरंभ में यात्रियों की संख्या में गिरावट आई लेकिन बाद में इसमें तेज़ी देखी गई।
- रेलवे द्वारा करिये को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा की जा सके तथा इसे यात्रियों के और अनुकूल बनाया जा सके।
- पछिले वर्ष जनि 15 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50 प्रतिशत से कम थी उनमें फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- पछिले वर्ष कम भीड़भाड़ वाले तीन महीनों में जनि 32 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50-75 प्रतिशत रही उनमें भी फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- सभी श्रेणियों में अधिकतम करिये की वर्तमान सीमा को मूल करिये के 1.5 गुना से कम कर 1.4 गुना कर दिया गया है।
- उन ट्रेनों, जनिमें 2एसी, 3एसी, सीसी आदि श्रेणी वाले यात्रियों की संख्या कम है और हमसफर ट्रेनें, जनिमें एक विशेष श्रेणी में यात्रियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम है (ट्रेन के निर्धारित समय पर रवाना होने से 4 दिन पहले), फ्लेक्सी फेअर के साथ सभी ट्रेनों में अंतिम करिये पर 20 प्रतिशत की करमकि छूट दी जाएगी।
- रेलवे ने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये अपनी माल ढुलाई दर को भी तर्कसंगत बनाया है। इसके परिणामस्वरूप कोयला, लौह और इस्पात, लौह अयस्क, तथा इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल जैसे प्रमुख वस्तुओं हेतु माल ढुलाई में 8.75% की वृद्धि होगी।
- कंटेनरों के ढुलाई शुल्क में 5% की वृद्धि हुई है और अन्य छोटे सामानों की माल ढुलाई 8.75% बढ़ी है। इस कदम से रेलवे को ₹ 3,344 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

फ्लेक्सी फेअर योजना क्या है?

- फ्लेक्सी करिया, रेलवे द्वारा सितंबर 2016 में राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिये पेश की गई एक बढ़ती कीमत प्रणाली है।
- इसमें शुरुआत में पहली 10 प्रतिशत सीटों के लिये सामान्य करिया लागू होता है, इसके बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत बर्थ की बुकिंग के बाद करियों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाती है। मांग के आधार पर इसमें अधिकतम 50 फीसदी तक करिया बढ़ता है।
- सेकंड एसी और चेयरकार के लिये अधिकतम 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है। वहीं, थर्ड एसी के लिये यह सीमा मूल करिये का 40 फीसदी अधिक होती है।